बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

बिहार राज्यपाल के आदेश से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–17 (3) के अन्तर्गत श्री सुधीर कुमार, उप निदेशक, प्रा०शि० (प्रशिक्षण) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के विरूद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कार्य के प्रति लापरवाही, संचिकाओं के काफी विलम्ब उपस्थापन, कार्य के प्रति शिथिलता कार्य रूचि का अभाव एवं उदासीनता के आलोक में में कुल पाँच आरोप गठित किये गये थे जो निम्नवत है–

I. दिनांक 30.08.2016 को प्रशिक्षण प्रभाग की समीक्षात्मक बैठक में प्रत्येक महीने कम से कम 5 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का औचक निरीक्षण करने का आदेश के बावजूद विगत 3 माह में मात्र 4 निजी संस्थानों का निरीक्षण किया जाना वह भी सम्यक तौर पर नहीं। इनमें से दो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निरीक्षण के समय बंद पाये जाने पर उनका दोबारा निरीक्षण नहीं किया जाना।

II. पी०पी०पी० मोड के आधार पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट दोनों के लिए इंडस्ट्रीज पार्टनर का चयन किया गया था, परंतु चयन के लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी इन दोनों में से किसी का भी एम०ओ०ए० पर श्री कुमार के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना।

III. एल०डब्लू०ई० क्षेत्र में छः नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 12 कौशल विकास केन्द्र की स्वीकृति दी गयी थी। इस संबंध में पिछली बैठक दिनांक–30.08.2016 में प्रधान सचिव महोदय द्वारा निर्देश कि प्रभारी सहायक निदेशक, प्रा०शि० लगातार भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क में रहकर यह सुनिश्चत करेंगे कि इसकी निविदा एवं कार्य शीघ्र हो जाए एवं माह नवम्बर, 2016 से इसका कार्य प्रारंभ हो जाए, परंतु इस संबंध में भवन निर्माण विभाग से लगातार फालोअप नहीं कर मात्र खानापूर्ति किया जाना , जिसके कारण जमुई जिला को छोड़कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य शेष किसी भी स्थान पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाना।

IV. प्रधान सचिव महादोय के स्तर पर समीक्षात्मक बैठक में भी०टी०पी० की योजना के जितने भी मामलों भुगतान हेतु लंबित थे, उनमें से भुगतान योग्य मामले का निष्पादन दिनांक–30.09.2016 तक करने का निर्देश दिया गया था। पिछले तीन माह में एक भी मामले का भुगतान नहीं किया जाना और न ही किसी मामले की जाँच पूरी किया जाना। भुगतान हेतु लंबित कुल दावों की भी जानकारी नहीं होना।

V. नया सचिवालय परिसर में पड़े हुए पुराने वाहनों को संबंधित विभागों से आबंटित कराकर प्रशिक्षण हेतु विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भेजवाने का पिछली बैठक दिनांक–31.08.16 को दिये गये निदेश का भी अनुपालन नहीं किया जाना। मात्र पत्र भेजवाने के अलावा अन्य कोई कार्रवाई या फोलोअप नहीं किया जाना।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–13 दिनांक–02.01.17 एवं स्मार पत्रांक–339 दिनांक–13.02.17 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तद् के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–07(गो०) दिनांक–17.02.17 की अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप संख्या–01 के संबंध में पाया गया कि सभी निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–25.11.2016 के बाद समर्पित किये गये हैं। प्रत्येक माह पाँच निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के औचक निरीक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण में कुछ नहीं कहा गया है। आरोप संख्या–02 एवं 04 के संबंध में संबंधित कार्य को प्रक्रियाधीन बताया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि श्री कुमार के स्तर से शिथिलता बरते जाने के कारण प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में विलम्ब हुआ है। आरोप संख्या–03 एवं 05 यद्यपि अन्य विभाग से संबंधित है तथापि श्री कुमार द्वारा उनके क्रियान्वयन में और तत्परता बरती जा सकती थी। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के समर्पित स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

3. अतएव, श्री सुधीर कुमार, उप निदेशक, प्रा०शि०(प्रशिक्षण), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को भविष्य के लिए कड़ी ''चेतावनी'' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

4. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

निबंधित डाक

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुधीर कुमार, उप निदेशक, प्रा०शि०(प्रशिक्षण) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 53/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 53/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 53/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री सुधीर कुमार, उप निदेशक, प्रा०शि०(प्रशिक्षण), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव

Raju/608

ज्ञाप सं०—6/श्रम वि० आ० (01)— 53/2016 श्र०सं०— 1578 पटना, दिनांक— 29/6/2017

प्रतिलिपि— निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/अपर सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

29/6/17

सहकार के अपर सचिव

28/6/17

Raju/609